Karobar Ke Bare Me 13 Suwal Jawab (Hindi)

हफ़्तावार रिसाला : 333
Weekly Booklet : 333

शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दावते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना
मुह़म्मद इल्यास अ़त्त़ार क़ादिरी रज़वी دامت برکاتہم العالیہ के मल्फ़ूज़ात का तह़रीरी गुलदस्ता बनाम

कारोबार के बारे में 13 सुवाल जवाब

सफ़ह़ात 17

"ख़रीदा हुआ माल वापस नहीं होगा" लिख कर लगाना कैसा ? 02
क्या हर कारोबार के लिये शरई राहनुमाई ज़रूरी है ? 04
बीवी महर की रक़म शौहर को कारोबार के लिये दे सकती है ? 09
धोबी के पास भूले हुए कपड़ों का हुक्म ? 14

पेशकश :
मजलिसे अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या
(दावते इस्लामी इन्डिया)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیّٖن ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْم ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم ط

कारोबार के बारे में 13 सुवाल जवाब[1]

दुआए ख़लीफ़ए अत्तार : या रब्बल मुस्तफ़ा ! जो कोई 15 सफ़हात का रिसाला : **"कारोबार के बारे में 13 सुवाल जवाब"** पढ़ या सुन ले उसे शरई तक़ाज़ों के मुताबिक़ कारोबार करने की तौफ़ीक़ दे और उस की वालिदैन समेत बे हिसाब मग़्फ़िरत फ़रमा । اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللہ علیہ واٰلہٖ وَسَلَّم

दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत

फ़रमाने आख़िरी नबी صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **:** जिसे कोई मुश्किल पेश आए उसे मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ना चाहिये क्यूं कि मुझ पर दुरूद पढ़ना मुसीबतों और बलाओं को टालने वाला है । (القول البدیع، ص414)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ علٰی مُحَمَّد

सुवाल : जब हम बेकरी से कोई पेक सामान लेते हैं और उसे खोलते हैं तो बसा अवक़ात वोह ख़राब निकलता है । फिर जब हम उसे वापस करने जाते हैं तो बेकरी वाले तब्दील नहीं करते तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिये ?

जवाब : ऐसी सूरत में बेहतर येह है कि दुकान पर ही उसे चेक कर के लिया जाए । अगर घर में जा कर चेक करने के बा'द वापस करेंगे तो दुकानदार नहीं मानेगा जब कि ख़रीदार क़समें खाएगा कि मैं ने इस में कुछ नहीं किया, घर जा कर खोला तो येह ख़राब निकला तो यूं झगड़ा होगा । ख़रीदने वाले

1... येह रिसाला अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ से किये गए सुवालात और उन के जवाबात पर मुश्तमिल है ।

को चाहिये कि वोह दुकानदार से पूछ ले कि मैं पेकेट फाड़ कर देखता हूं अगर सहीह़ हुवा तो लूंगा वरना नहीं लूंगा, अब अगर वोह इजाज़त दे तो ही पेकेट फाड़ें वरना बिग़ैर इजाज़त के फाड़ेंगे तो झगड़ा होगा और कारोबार में ऐसा अन्दाज़ इख़्तियार करना जाइज़ नहीं है कि जिस की वज्ह से झगड़े के इम्कानात पैदा हों।

''ख़रीदा हुवा माल वापस नहीं किया जाएगा'' लिख कर लगाना कैसा ?

(इस मौक़अ़ पर मदनी मुज़ाकरे में शरीक मुफ़्ती साहिब ने फ़रमाया :) अगर चीज़ में ऐ़ब है तो भले ख़रीदार ने उसे दुकान पर खोल कर नहीं देखा दुकानदार पर वापस लेना लाज़िम है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो दुकान पर नहीं खोली जा सकतीं मसलन जो चीज़ें गिफ़्ट पेक के त़ौर पर ली जाती हैं उन्हें दुकान पर खोलना मुम्किन नहीं होता और उन्हें घर पर आ कर ही खोलना पड़ता है अगर दुकान पर खोलेंगे तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। आ़म त़ौर पर मे'यारी जगहों पर चीज़ों का ख़राब निकलना कम ही होता है और जहां ऐसा होता है वहां बहुत से दुकानदार येह लिख कर लगा देते हैं कि ख़रीदा हुवा माल वापस नहीं किया जाएगा ह़ालां कि येह कोई उसूल या ज़ाबित़ा नहीं है बल्कि जो चीज़ ख़राब है वोह दुकानदारों को वापस करना ही होगी। अगर दुकानदार वापस न करना चाहें तो अपनी त़रफ़ से बराअत ज़ाहिर करते हुए गाहक को कह दें कि येह चीज़ जैसी भी है इसे अभी देख लो बा'द में वापस नहीं होगी, मगर येह जो लिख कर लगा देते हैं कि ख़रीदा हुवा माल वापस नहीं किया जाएगा येह शर्ई ए'तिबार से दुरुस्त नहीं है।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 2/64)

सुवाल : मैं एक दुकान पर काम करता हूं, कभी कभार हमारी दुकान पर गाहकों का इतना रश हो जाता है कि मैं जमाअ़त के साथ नमाज़ नहीं पढ़ पाता तो ऐसी सूरत में जमाअ़त का छोड़ना कैसा है ?

जवाब : अगर जमाअ़त का वक़्त हो गया और जमाअ़त के साथ नमाज़ पढ़ने में गाहकों की भीड़ के इलावा और कोई रुकावट नहीं है तो येह जमाअ़त छोड़ने के लिये शर्ई उ़ज़्र नहीं है, गाहकों को छोड़ कर जमाअ़त से नमाज़ पढ़ना वाजिब है। अगर कोई गाहक की वज्ह से जमाअ़त छोड़ेगा तो गुनाहगार होगा। गाहक छोड़ कर जमाअ़त के साथ नमाज़ पढ़ने के ज़रीए अगर हिर्स व लालच की काट नहीं होगी तो फिर किस के ज़रीए होगी ? याद रखिये ! ऐसी नोकरी भी जाइज़ नहीं है जिस में जमाअ़त के साथ नमाज़ पढ़ने से मन्अ़ किया जाता हो या वोह जमाअ़त के साथ नमाज़ पढ़ने में रुकावट बनती हो। अलबत्ता अगर नोकरी किसी ऐसे मक़ाम पर है कि जहां कोई ऐसी मस्जिद नहीं है कि जिस में बा जमाअ़त नमाज़ पढ़ी जा सके तो इस सूरत में अगर किसी ने वक़्त के अन्दर अन्दर मक्रूह वक़्त से पहले नमाज़ पढ़ ली तो कोई गुनाह नहीं है। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 2/65)

सुवाल : कारोबारी ज़रूरत या रक़म की हिफ़ाज़त के लिये बैंक में एकाउन्ट खुलवाना जाइज़ है या नहीं ?

जवाब : करन्ट (Current) एकाउन्ट खुलवा सकते हैं, सेविंग (Saving) एकाउन्ट खुलवाने से उ़लमाए किराम رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم ने मन्अ़ फ़रमाया है, क्यूं कि इस पर सूद बनता है।[1]

(चन्दे के बारे में सुवाल जवाब, स. 49) (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 4/342)

1... **नोट :** हिन्द में Saving एकाउन्ट खुलवाना जाइज़ है।

सुवाल : अगर कारोबार में बार बार नुक़्सान होता जा रहा हो तो इस की क्या वुजूहात हो सकती हैं ?

जवाब : नफ़्अ़ नुक़्सान **अल्लाह** पाक के इख़्तियार में है। बा'ज़ अवक़ात आज़्माइश और इम्तिहान भी होता है और कभी अपनी कोताही भी होती है। उ़मूमन अ़वाम येह समझती है कि किसी ने बन्दिश या जादू कर दिया है, ऐसे लोग हर बात में जादू, जिन्न और असरात जैसी चीज़ें निकाल लेते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्यूं कि सब लोग फ़ारिग़ थोड़ी बैठे हैं कि जादू ही करते रहेंगे। अगर कारोबार में नुक़्सान हो रहा हो तो उस के लिये जिद्दो जोह्द (मेहनत) करें, **अल्लाह** पाक से तौबा करें, तिलावत करें, नमाज़ें पढ़ें, **अल्लाह** करीम की बारगाह में दुआ़एं करें और रोज़ी में बरकत वाले अवरादो वज़ाइफ़ पढ़ें, اِنْ شَآءَاللّٰه रोज़ी खुल जाएगी, तरक़्क़ी हो जाएगी और कारोबार का नुक़्सान रुक जाएगा। दा'वते इस्लामी के मक्तबतुल मदीना के रिसाले "चिड़िया और अन्धा सांप"[1] का मुत़ालआ़ कर लें, उस में रोज़ी में बरकत के अच्छे अच्छे अवराद दिये गए हैं। اِنْ شَآءَاللّٰه आप का कारोबार खुल जाएगा। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 5/70)

सुवाल : तिजारत करने वाले बा'ज़ लोगों को अगर येह कहा जाए कि आप अपने कारोबार के बारे में शर्ई राहनुमाई ले लीजिये या दारुल इफ़्ता चले जाइये तो वोह कहते हैं कि "न हम झूट बोलते हैं और न ही किसी का पैसा

1... **"चिड़िया और अन्धा सांप"** येह रिसाला अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه की तस्नीफ़ है जिस के 33 सफ़ह़ात हैं। इस रिसाले में फ़क़्र की ता'रीफ़, फ़क़्र की फ़ज़ीलत पर अह़ादीसे करीमा, ह़ाजत छुपाने की फ़ज़ीलत, तंगदस्ती के अस्बाब और इस से नजात ह़ासिल करने का इलाज, रिज़्क़ में बरकत का वज़ीफ़ा और इस के इलावा दीगर कारोबारी मुआ़मलात में आसानी के नुस्ख़े भी बयान किये गए हैं। (शो'बा मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत)

खाते हैं, पूरी ज़कात भी देते हैं, इस लिये हमें शरई राहनुमाई लेना ज़रूरी नहीं है।" इस बारे में आप क्या फ़रमाते हैं ?

जवाब : अगर मैं येह कहूं कि "इस दौर में 99.9 फ़ीसद Businessman (या'नी ताजिर) ऐसे हैं जिन को Business (या'नी तिजारत) के मसाइल मा'लूम नहीं" तो शायद येह मुबालग़ा न हो। सिर्फ़ बातें कर रहे होते हैं कि "हम तो **अल्लाह अल्लाह** कर रहे हैं, हमें ज़ियादा लालच नहीं है, बच्चों के लिये रोज़ी रोटी कमाते हैं बस" हालां कि हराम घसीट घसीट कर अपने एकाउन्ट में भर रहे होते हैं और उन्हें इस का पता भी नहीं चलता। येह समझ रहे होते हैं कि "मैं ने कौन सी शराब की दुकान खोली है, या मैं कौन सा सूद का काम कर रहा हूं" हालां कि बात बात पर झूट बोल रहे होते और धोका दे रहे होते हैं। इन चीज़ों को येह Serious (सन्जीदा) ही नहीं लेते, समझते हैं कि "कारोबार में येह सब चलता है, इन चीज़ों के बिग़ैर कारोबार कैसे होगा ! झूट न बोलो तो चीज़ बिकती ही नहीं है" نَعُوْذُ بِاللّٰه ! येह शैतान का बनाया हुवा ज़ेहन है। जब येह हाल होगा तो बरकत कैसे होगी ? नमाज़ों में दिल कैसे लगेगा ? ख़ुशूओ ख़ुज़ूअ कैसे आएगा ? रिक़्क़त (रह़म दिली) कैसे आएगी ? गुनाहों से नफ़रत कैसे बढ़ेगी ? जो कारोबारी ह़ज़रात मुझे सुन रहे हैं वोह "दारुल इफ़्ता अहले सुन्नत" से अपने कारोबार की Scanning (या'नी तफ़्तीश) करवा लें, इस के लिये बा क़ाइदा ह़ाज़िर होना पड़ेगा, या अगर ह़ाज़िर होना मुम्किन नहीं तो इन्टरनेट वग़ैरा के ज़रीए ही राबिता कर लें और अपने कारोबार की शरई राहनुमाई लें। इस के बिग़ैर अपने बाल बच्चों को ह़लाल रोज़ी खिलाना बहुत मुश्किल है। मैं ने बिल्कुल दो टोक और जनरल बात की है, किसी के कारोबार पर कोई हुक्म नहीं लगाया। सब

को मसाइल सीखने चाहिएं। मुलाज़िम हैं तो मुलाज़मत के और सेठ हैं तो मुलाज़िम रखने और सेठ बनने के मसाइल सीखना फ़र्ज़ हैं। (फ़तावा रज़विय्या, 23/623, 626 मुलख़्ख़सन) अगर येह कहेंगे कि "यार हम इस चक्कर में नहीं पड़ते" तो क़ियामत के दिन भी कह देना कि "हम इस चक्कर में नहीं पड़ते।" نَعُوْذُ بِاللّٰه ! कहीं ऐसा न हो कि जहन्नम में डाल दिया जाए। जब हम दुन्या में आए हैं और اَلْحَمْدُ لِلّٰه मुसल्मान हैं तो हमें **अल्लाह** व रसूल के अह़कामात मानने ही पड़ेंगे, इस के बिग़ैर छुटकारा नहीं है। जब तक कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। **अल्लाह** करीम हम को कोशिश करने वाला बनाए। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 5/75)

सुवाल : कपड़े पर मुख़्तलिफ़ त़रह़ के डीज़ाइन बनाने के लिये बचे हुए कटपीस इस्ति'माल किये जाते हैं, क्या इस के इस्ति'माल की इजाज़त है ?

जवाब : कपड़े पर डीज़ाइन बनाने के लिये मुख़्तलिफ़ त़रह़ के जो रंगीन कपड़े लगाते हैं तो ज़ाहिर है वोह किसी थान को फाड़ कर निकालने से तो रहे, बल्कि थान में से बचे हुए कटपीस या कपड़े सिलाई करने के बा'द जो मुख़्तलिफ़ त़रह़ के कटपीस बच जाते हैं उन से बनाए जाते हैं और येह दरज़ी के लिये ह़क़ और ह़लाल के होते हैं। बा'ज़ लोगों को सादा सूट अच्छा नहीं लगता तो वोह अपना शौक़ पूरा करने के लिये येह कपड़े लगवाते हैं। बहर ह़ाल ! जिस कपड़े से येह डीज़ाइन बनाए जाते हैं उस के बारे में जब तक येह कन्फ़र्म न हो कि येह कपड़ा चोरी का है तो उसे लगवा सकते हैं। अगर कटपीस के बारे में येह त़ै कर लिया जाए कि वोह चोरी के होते हैं तो फिर कटपीस का कारोबार भी ना जाइज़ हो जाएगा, ह़ालां कि ऐसा नहीं है।

अगर मैं दरज़ी होता.....!

अगर मैं दरज़ी होता तो शायद येह करता कि अपने पास एक शॉपर रख लेता और गाहक के कपड़े का धागा निकलता या जो कुछ भी बच जाता तो वोह सब शॉपर में डाल देता और सूट के साथ शॉपर भी पेश कर देता। नीज़ साथ में Dustbin (कूड़ादान) भी रख लेता, अगर उसे शॉपर देख कर ग़ुस्सा आता तो बोलता इस Dustbin में डाल दो फिर चाहता तो उस को इस्ति'माल कर लेता। येह मेरा मिज़ाज है कि पता नहीं इसे रखना चाहिये या नहीं, इस में ख़त्रे का पहलू बहुत बड़ा है क्यूं कि बन्दे को शर्ई मसाइल की मा'लूमात नहीं होती, नफ़्से अम्मारा या'नी सरकश नफ़्स भी है जो दूसरे का ह़क़ मारने पर उभारता रहता है।

कपड़ों से जो कटपीस बच जाते हैं वोह मुख़्तलिफ़ त़रह़ के काम में इस्ति'माल किये जाते हैं, शौक़ीन क़िस्म के लोग उस से बाबासूट वग़ैरा बनाते हैं, फिर येह सफ़ाई करने के काम में भी आते हैं। चीज़ों को फेंकने वाला दौर चला गया, अब हर चीज़ बिकती है, पहले तो काग़ज़ की चेपियां प्रेस वाले फेंक देते थे, फिर ग़रीब लोग उन्हें वहां से उठा लेते और खाना पकाते वक़्त कोएले वग़ैरा जलाने के काम में लाते थे। बहर ह़ाल! कोई ख़ौफ़े ख़ुदा वाला दरज़ी हो तो अपने पास शॉपर रख ले और कपड़े में से बचने वाली हर चीज़ उस में जम्अ़ कर के उस के मालिक को दे दे। और **अल्लाह** पाक की रिज़ा ह़ासिल करने की निय्यत करे कि इस में नेकनामी होगी और लोगों का ए'तिमाद भी बह़ाल हो जाएगा।

हर दरज़ी कपड़ा चोरी नहीं करता

मुआ़शरे में एक मुह़ावरा बन गया है कि "जो चोर नहीं वोह दरज़ी

नहीं हो सकता'' जिस दरज़ी की कपड़ा चोरी करने की आ़दत होती है अगर आप उसे पूरे नाप का कपड़ा भी देंगे तो वोह इस अन्दाज़ में कटिंग करेगा कि कुछ न कुछ कपड़ा बचा लेगा। ''बहारे शरीअ़त'' में है : आधी पिंडली तक कुरता पहनना सुन्नत है। (ردالمحتار، 9/579, बहारे शरीअ़त, 3/409, हिस्सा : 16) अब जो आधी पिंडली तक का कुरता पहनते हैं उन्हें इस का तजरिबा होगा कि वोह दरज़ी को आधी पिंडली तक कुरते का नाप देते हैं मगर कोई ख़ुश नसीब होगा जिस का आधी पिंडली तक वाला कुरता बनता हो। गाहक को समझ नहीं आएगी, जब झुक कर देखेगा तो कुरता आधी पिंडली तक जा रहा होगा और जब सीधा खड़ा हो तो दूसरा कोई बताएगा कि आधी पिंडली तक है या नहीं। इसी त़रह़ एक बालिश्त चौड़ी आस्तीन का बोलते हैं मगर वोह भी कहां होती है ? कटिंग में कपड़ा कम कर देते हैं। अलबत्ता हर दरज़ी ऐसा नहीं करता, मैं उ़मूमी बात कर रहा हूं, जो ऐसा करते हैं उन्हें **अल्लाह** पाक से डरना चाहिये। मगर सब दरज़ी ऐसा नहीं करते, مَاشَآءَاللّٰه दा'वते इस्लामी के दीनी माह़ोल में बहुत सारे दरज़ी हैं जिन से मेरा हुस्ने ज़न है कि वोह सह़ीह़ से काम करते हैं। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 5/220)

सुवाल : आप कौन सा इत्र पसन्द करते हैं ? नीज़ इत्र की बोतलों में साइज़ का बड़ा मस्अला होता है, कभी तीन ग्राम की शीशी मिलती है कभी ढाई ग्राम की आती है, और Customer (या'नी गाहक) आ कर तीन ग्राम इत्र मांगता है। चूंकि इन शीशियों में इत्र की कितनी मिक़्दार आ सकती है इस का सह़ीह़ इ़ल्म हमें भी नहीं होता तो Customer को येह बात कैसे समझाई जाए या उस को सह़ीह़ वज़्न किस त़रह़ बताया जाए ? इस का कुछ ह़ल इर्शाद फ़रमा दीजिये।

जवाब :

दुन्या पसन्द करती है इत्रे गुलाब को लेकिन मुझे नबी का पसीना पसन्द है

ढाई तीन माशे की शीशियां या चोर साइज़ की शीशियां आती हैं, इस में वाक़ेई आज़्माइश है कि दुकानदार किस त़रह़ उस को पूरे तीन माशे की कह कर बेचे ? इस का ह़ल येह है कि Customer से वज़्न का ज़िक्र ही न करे बल्कि कहे कि येह शीशी इतने की है और वोह शीशी इतने की है। अगर शीशी पर लिखा हुवा हो कि येह तीन ग्राम है तो दुकानदार कह दे कि अगर्चे इस पर येह लिखा हुवा है लेकिन मैं ने इन का वज़्न कर के देखा नहीं है। येह अगर्चे मुश्किल होगा कि अ़वाम के साथ डीलिंग आसान काम नहीं है, मैं भी कारोबारी आदमी हूं, मुझे मा'लूम है लोग तंग करते हैं लेकिन येह सब करना पड़ेगा वरना तीन माशा कह कर कम वाली शीशी देंगे तो गुनाहगार हो जाएंगे। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 5/243)

सुवाल : लड़की को शादी में जो मह्र की रक़म मिलती है तो वोह उसे किस त़रह़ इस्ति'माल करे ? एक मरतबा दा'वते इस्लामी के चेनल पर सुना था कि लड़की शौहर को कारोबार करने के लिये वोह रक़म दे सकती है।

जवाब : जो मह्र औ़रत को मिला तो येह उस की मालिका है। किसी भी जाइज़ त़रीक़े पर उसे इस्ति'माल कर सकती है। अगर शौहर को देना चाहे तो दे सकती है और फिर अगर वापस न लेना चाहे तो मुआ़फ़ करने का भी इसे इख़्तियार है। (درمختار، 4/239) (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 6/65)

सुवाल : क्या 9, 10 मुह़र्रम को कारोबार करना मन्अ़ है ? नीज़ क्या इन दिनों में घर में चूल्हा भी नहीं जला सकते ?

जवाब : येह दोनों बातें ग़लत़ हैं। मुह़र्रम में चूल्हा भी जला सकते हैं और कारोबार भी कर सकते हैं। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 6/166)

सुवाल : दा'वते इस्लामी के सुन्नतों भरे इज्तिमाआ़त में मिलावट करने के सख़्त अ़ज़ाबात के साथ साथ इस के बड़े गुनाह होने के बारे में भी बयान किया जाता है लेकिन जब बन्दा कारोबार करता है और उस का नफ़्अ़ देखता है तो अ़ज़ाबात को भूल जाता है और दो पैसे कमाने की ख़ातिर घरों में इस्ति'माल होने वाली अश्या जैसे आटा, दाल, चावल और घी वग़ैरा में बा'ज़ अवक़ात सिह़्ह़त को नुक़्सान पहुंचाने वाली चीज़ें मिला कर बेच देता है, उसे येह एह़सास नहीं होता कि मिलावट वाली चीज़ें खा कर लोगों की सिह़्ह़त ख़राब होगी । बा'ज़ बच्चे अपाहज व मोह़ताज हो जाएंगे, कोई आंखों और कोई गुर्दों के अमराज़ का शिकार होगा । जो लोग इस त़रह़ माल की मह़ब्बत में अपनी दुन्या व आख़िरत को नुक़्सान पहुंचाते हैं उन का इस गुनाह से बचने का आख़िर ज़ेह्न क्यूं नहीं बनता ?

जवाब : येह एक त़वील Topic (मौज़ूअ़) है और येह बहुत परेशान कुन बात है कि हर चीज़ में मिलावट हो रही है । पानी में भी मिलावट की जाती है । अब ऐसे ह़ालात में आदमी क्या कर सकता है ? येह मस्अला ज़ेह्न नशीन कर लीजिये कि अगर बेचने वाले और ख़रीदने वाले दोनों को पता है कि येह माल मिलावट वाला है और इस में इतनी मिलावट है, इस के बा वुजूद गाहक ख़ुशी से ख़रीद रहा है तो गुनाह नहीं लेकिन आ़म त़ौर पर ऐसा नहीं होता । हर आदमी ख़ालिस चीज़ तलाश करता है और येह पसन्द करता है कि ख़ालिस चीज़ मिले लेकिन मिलती नहीं । अगर हम मुबालग़ा करें तो तक़रीबन 99.99 फ़ीसद चीज़ों में मिलावट हो रही है, किस किस चीज़ का तज़्किरा किया जाए । सुना है कि दूध के डिब्बों में भी दूध के बजाए Whitener Liquid (या'नी माएअ़ को सफ़ेद बनाने वाली शै) होती है और

लिखा होता है कि येह दूध नहीं है फिर भी लोग उस की चाय बना कर पी रहे होते हैं या उसे दूध के तौर पर इस्ति'माल कर रहे होते हैं। अगर वाक़ेई डिब्बे में दूध नहीं और येह लिख भी दिया है नीज़ जो कुछ डिब्बे में है वोह भी दुरुस्त लिख दिया है तो अब बनाने वाला गिरिफ़्त से बच जाएगा। आज कल तक़रीबन मिर्च मसाले और दूध वग़ैरा में मिलावट होती है, दूध में पानी मिला होता है। दूध में गाय, भैंस और बकरी तीनों का दूध मिक्स होता है मगर उ़मूमन लोग गाय का दूध ज़ियादा पसन्द नहीं करते, ह़ालां कि गाय के घी और दूध में शिफ़ा होने के मुतअ़ल्लिक़ मैं ने पढ़ा है। (مستدرک، 5/575، حدیث: 8274) इस के बा वुजूद हमारे यहां लोग गाय का दूध ज़ियादा इस्ति'माल नहीं करते। बैरूने ममालिक में दूध के डिब्बों पर लिखा होता है कि येह गाय का दूध है और लोग उसे इस्ति'माल कर रहे होते हैं। अगर दूध में गाय, भैंस और बकरी तीनों जानवरों का दूध मिक्स है और गाहक को पता है फिर तो सह़ीह़ है। अगर पता नहीं है तो फिर येह एक त़रह़ से धोका हो जाएगा क्यूं कि गाहक उसे भैंस का दूध समझ कर ले रहा है, भैंस का दूध गाढ़ा होता है इस लिये हमारे यहां इसे ज़ियादा पसन्द किया जाता है। बा'ज़ लोग आटा वग़ैरा मिला कर भी दूध गाढ़ा कर देते हैं। **अल्लाह** पाक ऐसा करने वालों को हिदायत और तौबा की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए।

काली मिर्चों में पपीते के बीज सुखा कर डाल दिये जाते हैं क्यूं कि येह भी काले रंग के होते हैं इस लिये पता नहीं चलता। होटलों की इस्ति'माल शुदा चाय की पत्ती और भुने हुए चनों के छिल्कों को कलर कर के बा'ज़ लोग चाय की पत्ती में मिक्स कर देते होंगे, अल ग़रज़ येह सब काम हो रहे होते हैं। गर्म मसाले के डिब्बों में भी न जाने क्या क्या मिला होता

है। अगर मुम्किन हो तो मसाले के डिब्बे ख़रीदने के बजाए बाज़ार से खुले मसाले लें अगर्चे ख़ालिस येह भी नहीं मिलेंगे मगर कुछ बेहतर होंगे। अलबत्ता गर्म मसाले के पेकेट बनाने वाले सब मिलावट करते हों येह ज़रूरी नहीं। फिर येह भी होता है कि मसलन मिलावट वाला पेकेट 25 रुपै का मिलता है जब कि ख़ालिस पेकेट पर 50 रुपै ख़र्चा आता है अब इसे कम अज़ कम 60 रुपै का बेचना होगा, अब 25 रुपै वाले नाक़िस (ख़राब) गर्म मसाले वाले पेकेट के मुक़ाबले में ख़ालिस पेकेट को 60 रुपै में कौन लेगा ? येही वज्ह है कि ख़ालिस चीज़ फ़रोख़्त करने वाले के बारे में लोग बोलते हैं कि येह लूटता है अगर्चे वोह लाख क़समें खा कर यक़ीन दिलाए कि येह ख़ालिस है मगर कोई उस का यक़ीन नहीं करेगा।

ह़लाल ज़राएअ़ से रिज़्क़ कमाना चाहिये

अगर कोई येह कहे कि बाज़ार में कारोबार करने के लिये मिलावट वाला माल फ़रोख़्त करना (बेचना) मजबूरी है तो उसे चाहिये कि वोह ऐसा काम ही न करे जिस में मिलावट करना और धोका देना हो। ह़लाल रोज़ी कमाने के और भी बहुत से ज़राएअ़ हैं उन्हें इख़्तियार कर के ह़लाल रोज़ी कमाए। आ़म तौ़र पर लोगों को खाने में उ़म्दा से उ़म्दा डिशें दरकार (चाहिये) होती हैं, फिर अपनी इन ख़्वाहिशात को पूरा करने के लिये ह़राम ज़राएअ़ से माल कमाने के गुनाह में जा पड़ते हैं। बहर ह़ाल ! जो लोग मिलावट से बाज़ नहीं आते उन्हें चाहिये कि वोह "वर्ज़िश शुरूअ़ कर दें ताकि अ़ज़ाब बरदाश्त कर सकें।" चोट करने के लिये येह जुम्ला मैं ने कहा है, वरना दुन्या में न कोई ऐसी एक्सर साइज़ है और न कोई ऐसा केमीकल कि जिस से बन्दा जहन्नम का अ़ज़ाब बरदाश्त कर सके या उस से बच

सके। अगर कोई نَعُوْذُ بِاللّٰه येह कहे कि मैं अ़ज़ाबे जहन्नम बरदाश्त कर लूंगा तो ऐसा कहने वाला काफ़िर हो जाएगा। (फ़तावा रज़विय्या, 14/654) क्यूं कि उस ने **अल्लाह** पाक के अ़ज़ाब को हलका जाना है। याद रखिये ! जहन्नम की आग **अल्लाह** पाक की रह़मत के पानी और सच्ची तौबा से ही बुझेगी, ख़ौफ़े ख़ुदा में बहने वाले आंसू ही अ़ज़ाबे इलाही से बचाएंगे, वरना अपनी अ़क़्ल और होशियारी सब यहीं रह जाएगी और इन में से कुछ भी साथ नहीं जाएगा। **अल्लाह** करीम हमें थोड़ी रोज़ी पर क़नाअ़त अ़ता फ़रमाए।

اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہ علیہِ واٰلِہٖ وَسَلَّم

धोके और मिलावट के ज़रीए़ ह़ासिल किया हुवा माल हाथ से निकल जाता है

(इस मौक़अ़ पर मुबल्लिगे़ दा'वते इस्लामी ने फ़रमाया :) मिलावट और धोके से ह़ासिल किया हुवा माल चला भी तो जाता है। मश्हूर वाक़िआ़ है कि एक शख़्स दूध में पानी मिलाता था, एक दिन सैलाब आया और उस के सारे जानवर बहा कर ले गया। किसी ने उस शख़्स से कहा कि येह वोही पानी है जिसे तुम दूध में मिलाते थे। आज वोही पानी सैलाब बन कर आया और तुम्हारा सारा माल ले गया। (احیاء العلوم، 2/97) जो पैसा ग़लत़ जगह से आता है तो वोह ग़लत़ जगह डाकूओं वग़ैरा के पास चला जाता है। कारोबार में धोका देने वालों के लिये सख़्त वईदात हैं चुनान्चे ह़दीसे पाक में है : जो शख़्स ऐ़बदार चीज़ फ़रोख़्त करे और उस पर गाहक को ख़बरदार न करे तो ऐसा शख़्स **अल्लाह** पाक की नाराज़ी में रहेगा और फ़रिश्ते उस पर ला'नत करते रहेंगे। (ابن ماجہ، 3/59، حدیث:2247) दूसरी ह़दीसे पाक में है : तमाम कमाइयों में ज़ियादा पाकीज़ा उन ताजिरों की कमाई है जो बात करें तो झूट न बोलें, जब उन के पास अमानत रखी जाए तो ख़ियानत न करें, जब वा'दा

करें तो उस का ख़िलाफ़ न करें, जब किसी चीज़ को ख़रीदें तो उस की मज़म्मत या'नी बुराई न करें, जब अपनी चीज़ बेचें तो उस की ता'रीफ़ में मुबालग़ा न करें, उन पर किसी का आता हो तो देने में ढील न करें और जब उन का किसी पर आता हो तो सख़्ती न करें। (شعب الایمان،4/221، حدیث:4854) **अल्लाह** पाक हमें ह़लाल रोज़ी कमाने की तौफ़ीक़ अ़त़ा फ़रमाए।

اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللہ علیہ واٰلہٖ وَسَلَّم (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 6/438)

सुवाल : एक इस्लामी भाई का भैंसों का कारोबार है, उन के ज़ेह्न में किसी ने येह बात बिठा दी है कि "जब भी आप अपना कारोबार बढ़ाएंगे आप के ऊपर जादू हो जाएगा और आप को कुछ न कुछ नुक़्सान होगा!" इस त़रह़ की कैफ़िय्यत में बन्दा क्या करे और उस का ए'तिमाद कैसे बह़ाल हो ?

जवाब : ऐसे शख़्स को चाहिये कि वोह **अल्लाह** पाक पर भरोसा करे, **अल्लाह** पाक जो चाहेगा वोही होगा। अगर वोह शख़्स किसी का मुरीद है तो अपने पीरो मुर्शिद के शजरे के अवराद पाबन्दी से पढ़े और ता'वीज़ पहन ले, اِنْ شَآءَاللہ बहुत ज़ियादा फ़ाएदा होगा, असरात वग़ैरा भी चले जाएंगे।

मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वोही होता है जो मन्ज़ूरे ख़ुदा होता है

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 7/194)

सुवाल : बा'ज़ लोग अपने कपड़े धोबी के पास भूल जाते हैं और त़वील अ़र्सा गुज़र जाता है, इस सूरत में धोबी को क्या करना चाहिये ?

जवाब : धोबी को चाहिये कि वोह अपने गाहकों के मोबाइल नम्बर्ज़ और उन का एड्रेस ले लिया करे, फिर गाहक के न आने की सूरत में उसी एड्रेस पर अपने पास काम करने वाले को कपड़े दे कर भेज दे। कुछ अ़लाक़े ऐसे भी हैं जहां पर धोबी ख़ुद घर से कपड़े ले जाता है और धुलने के बा'द ख़ुद दे भी जाता है, इस में किसी गाहक के भूलने का सुवाल ही पैदा नहीं होता,

येह Laundry का कारोबार होता है और इस में काम करने वाले लोग भी आस पास के होते हैं। अगर बिलफ़र्ज़ कोई गाहक अपने कपड़े भूल भी गया है तो उस के घर में कोई कपड़े पहुंचा ही देगा, येह इतना बड़ा मस्अला नहीं है। अलबत्ता अगर धोबी ग़फ़्लत कर जाए तो वोह अलग बात है, मगर धोबी को ग़फ़्लत करनी नहीं चाहिये। गाहक के कपड़े भूलने से वोह माले ग़नीमत नहीं हो जाएंगे कि उन पर क़ब्ज़ा कर लिया जाए, उन को अपने पास महफ़ूज़ रखना होगा। उ़मूमन Laundry वालों के गिनती के ही गाहक होते हैं, रोज़ बरोज़ नए गाहक नहीं आते होंगे। काग़ज़ पर नाम लिख कर दीवार पर लगा दे ताकि अगर कोई अपने कपड़े भूल भी गया हो तो काग़ज़ देख कर उसे याद आ जाए। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 7/204)

सुवाल : पानी का कारोबार करना जाइज़ है या नहीं ?

जवाब : जाइज़ है। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 2/45)

नोट : सफ़ह़ा 4,5 पर मौजूद सुवाल शो'बए मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत ने क़ाइम किया है जब कि जवाब अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه का ही अ़त़ा फ़रमूदा है।

येह रिसाला पढ़ कर दूसरे को दे दीजिये

शादी ग़मी की तक़रीबात, इज्तिमाआ़त, आ'रास और जुलूसे मीलाद वग़ैरा में मक्तबतुल मदीना के शाएअ़ कर्दा रसाइल और मदनी फूलों पर मुश्तमिल पेम्फ़लेट तक़्सीम कर के सवाब कमाइये, गाहकों को ब निय्यते सवाब तोह़फ़े में देने के लिये अपनी दुकानों पर भी रसाइल रखने का मा'मूल बनाइये, अख़्बार फ़रोशों या बच्चों के ज़रीए अपने महल्ले के घर घर में माहाना कम अज़ कम एक अ़दद सुन्नतों भरा रिसाला या मदनी फूलों का पेम्फ़लेट पहुंचा कर नेकी की दा'वत की धूमें मचाइये और ख़ूब सवाब कमाइये।

अगले हफ़्ते का रिसाला